

No 21290 /Rules/DHC/2010

From

The Registrar General,  
High Court of Delhi,  
New Delhi.

To

Shri Anoop Prakash Awasthi,  
5, Nanak Enclave, Rosary School Road,  
Radio Colony,  
Delhi - 110 009.

New Delhi, dated 16-7-10

Sub: Delhi High Court (Right to Information) Rules, 2006.

Dear Shri Anoop,

With reference to your letters dated 23.09.2009 and 25.01.2010, regarding highlighting certain errors in the Delhi High Court (RTI) Rules, 2006. We would like to inform you that this Court has considered the errors cited by you in the said rules and recommended amendments in Delhi High Court (RTI) Rules, 2006. The same has been notified vide Notification No.178/Rules/DHC dated 13.05.2010 published in Delhi Gazette (Extraordinary), No. 77, Part IV, (N.C.T.D. No. 41).

We appreciate your contribution in improving the Rules.

Copy of the same is being forwarded herewith for your information.

Yours Sincerely,



(P.K. Uppal)

Assistant Registrar (Rules)  
For Registrar General

Encl : As above.

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette



सत्यमेव जयते

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 77]  
No. 77]

दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 13, 2010/वैशाख 23, 1932  
DELHI, THURSDAY, MAY 13, 2010/VAISAKHA 23, 1932

[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 41  
[N.C.T.D. No. 41

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 13 मई, 2010

सं. 178/नियम/डी.एच.सी.—सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 28 की उप-धारा (1) संपठित धारा 2(अ)(iii) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय (सूचना का अधिकार) अधिनियम, 2006 जिनको दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग IV, सं. 131 (एन. सी. टी. डी. सं. 109) दिनांक 11 अगस्त, 2006 में अधिसूचना सं. 180/नियम/डी. एच. सी., दिनांक 11 अगस्त, 2006 को अधिसूचित किया गया था जो कि अधिसूचना सं. 117/नियम/डी.एच.सी. दिनांक 8-5-2007 द्वारा संशोधित किये गये तथा दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग IV, सं. 80 (एन. सी. टी. डी. सं. 30), दिनांक 8-5-2007 को प्रकाशित किये गये, जिनको अधिसूचना सं. 225/नियम/डी.एच.सी., दिनांक 29-10-2007 द्वारा आगे संशोधित किया जाकर दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग-IV, सं. 185 (एन. सी. टी. डी. सं. 206), दिनांक 29-10-2007 को प्रकाशित किया गया एवं शुद्धि-पत्र सं. 117/नियम/डी.एच.सी., दिनांक 31-1-2008 शुद्ध किया जाकर दिल्ली राजपत्र असाधारण, भाग IV, सं. 19 (एन. सी. टी. डी. सं. 301), दिनांक 31-1-2008 में प्रकाशित किया गया जिनको अधिसूचना सं. 46/नियम/डी.एच.सी., दिनांक 22-1-2009

द्वारा आगे संशोधित किया जाकर दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग IV, सं. 12 (एन. सी. टी. डी. सं. 303), दिनांक 22-1-2009 में प्रकाशित किया गया, में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं :

## I. नियम 3(ए) में संशोधन :—

नियम 3(ए) में शब्दावली "11 बजे पूर्वाह्न से 1 बजे अपराह्न तक आवेदन प्रस्तुत करेंगे" के पश्चात् शब्दावली "तथा 2 बजे अपराह्न से 4 बजे अपराह्न तक" को समाविष्ट किया जायेगा।

## II. नियम 3(बी) में संशोधन :—

नियम 3(बी) में शब्दावली "अपेक्षित शुल्क नकद जमा कर दी जाती है" के पश्चात् शब्दावली "भारतीय पोस्टल आर्डर, डिमान्ड ड्राफ्टों, पे आर्डर" को समाविष्ट किया जाएगा तथा शब्दावली "7 दिनों के भीतर" के स्थान पर शब्दावली "15 दिनों के भीतर" को प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा शब्दावली "इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप के माध्यम से प्रार्थना" के पश्चात् शब्दावली "तथा डाक के माध्यम से" को समाविष्ट किया जाएगा।

## III. नियम 10(बी) में संशोधन :—

नियम 10(बी) शीर्षक 'मूल्य/शुल्क रूपों में' के नीचे क्रम सं. 2 से शब्दावली "अत्यावश्यक के लिये प्रभार रु. 10 प्रति पृष्ठ" को हटा दिया जाएगा।

न्यायालय के आदेशानुसार,  
राकेश कपूर, महा निबंधक

**HIGH COURT OF DELHI : NEW DELHI  
NOTIFICATION**

Delhi, the 13th May, 2010

**No. 178 /Rules/DHC.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 read with Section 2 (e) (iii) of the Right to Information Act, 2005, Hon'ble the Chief Justice of the High Court of Delhi hereby makes the following amendments in Delhi High Court (Right to Information) Rules, 2006, which were notified *vide* Notification No. 180/Rules/DHC, dated 11th August, 2006, in Delhi Gazette, Extraordinary, Part IV, No. 131 (N.C.T.D. No. 109), dated 11th August, 2006, amended *vide* Notification No. 117/Rules/DHC, dated 8-5-2007 published in Delhi Gazette, Extraordinary, Part IV, No. 80 (N.C.T.D. No. 30) dated 8-5-2007, further amended *vide* Notification No. 225/Rules/DHC, dated 29-10-2007 published in Delhi Gazette, Extraordinary, Part IV, No. 185 (N.C.T.D. No. 206), dated 29-10-2007 and corrected *vide* Corrigendum No. 117/Rules/DHC, dated 31-1-2008 published in Delhi Gazette Extraordinary Part IV, No. 19 (N.C.T.D. No. 301), dated 31-1-2008, further amended Notification No. 46/Rules/DHC, dated 22-1-2009 published in Delhi Gazette, Extraordinary, Part IV, No. 12 (N.C.T.D. No. 303), dated 22-1-2009 :

**I. Amendment in Rule 3(a)**

In Rule 3(a) the words "and 2 P.M. to 4 P.M." shall be inserted after the words 'shall file an application from 11 A.M. to 1 P.M.'

**II. Amendment in Rule 3 (b)**

In Rule 3(b) the words "Indian Postal Order, Demand Drafts, Pay Order" shall be inserted after the words "the requisite fees is deposited in cash" and words 'within 7 days' shall be substituted by the words "within 15 days" and words "and through post" shall be inserted after the words 'the request through electronic form'.

**III. Amendment in Rule 10(B)**

In Rule 10(B) the words "charges for urgent Rs.10 per page" shall be deleted from Sl. No. 2, below the heading 'price/fee in Rupees'.

By Order of the Court,  
RAKESH KAPOOR, Registrar General

भूमि व भवन विभाग  
अधिसूचनाएँ  
दिल्ली, 13 मई, 2010

**सं. फा. 8(5)/10/भू. व भ./भू.अ./डी.जे. बी./2461.**— जबकि, दिल्ली के उपराज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजन एवं सार्वजनिक व्यय पर सरकार द्वारा अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन, दिल्ली-गाजियाबाद रेलवे ट्रेक के समीप दिल्ली जल बोर्ड द्वारा 1500 मि.मी. ओवर ग्राउंड वाटर पाइपलाइन के लिए भूमि प्राप्त किया जाना है। अतः इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित इलाके में उक्त प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाना संभावित है।

यह अधिसूचना भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के अधीन सर्वसंबंधित के लिए प्रचालित की जाती है।

पूर्वोक्त धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल तत्समय कार्यरत अधिकारियों को उनके कर्मचारियों और कामगारों सहित इलाके में किसी भी भूमि में प्रवेश करने व सर्वेक्षण करने और उक्त धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमति प्राप्त सभी अन्य कार्य करने के लिए सहर्ष प्राधिकृत करते हैं।

उपराज्यपाल इससे भी संतुष्ट हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) के उपबन्ध इस भूमि पर लागू हैं, उक्त धारा की उप-धारा (4) के अधीन सहर्ष यह भी निर्देश है कि धारा 5क के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

**विशिष्ट विवरण**

गांव का नाम	कुल क्षेत्र (बीघा-बिस्वा-बिस्वांसी)	खसरा नं.	क्षेत्र (बीघा-बिस्वा-बिस्वांसी)
चिरागा जनूबी	1-18-08	64 मिन	1-18-08

**LAND AND BUILDING DEPARTMENT**

**NOTIFICATIONS**

Delhi, the 13th May, 2010

**No. F. 8(5)/10/L & B/LA/DJB/2461.**—Whereas it appears to the Lt. Governor, Delhi that land is likely to be required to be taken by Government at the public expenses for a public purpose namely for laying of 1500 mm over ground water pipeline adjoining Delhi-Gaziabad Railway Track Near Akshar Dham Metro Station by Delhi Jal Board. It is hereby notified that the land in the locality described below is likely to be acquired for the above purpose.

The notification is made, under the provisions of sub-section (1) of Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894, to all whom it may concern.

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section, the Lt. Governor, Delhi is pleased to authorize the officers for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to enter upon and survey the land in the locality and do all other acts required or permitted by that section.

The Lt. Governor, Delhi is satisfied also that provisions of sub-section (1) of the Section 17 of the said Act are applicable to this land and is further pleased under sub-section (4) of the said section to direct that all the provisions of Section 5A shall not apply.

**SPECIFICATON**

Village	Total Area (Bigha- Biswa- Biswansi)	Khasra No.	Area (Bigha- Biswa- Biswansi)
Chiragah Janubi	01-18-08	64 min.	01-18-08